



मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद
(रजिस्टर का प्रकाशन तथा
अपील) (संशोधित) नियम,
1976 मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण) प्रकाशन दिनोंक
10 सितम्बर, 1982

लोक स्वास्थ्य की पूर्व-वदायगी के दिला ढाक ढारा जें जने के लिए अनुमति। प्रभुमति-पत्र क. भोपाल—505/डब्ल्यू. ई.

पंजीकरण मोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 371

मोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 सितम्बर 1982—भाद्र 19, शके 1904

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (ह) (१) सूच्यप्रवेश विवेदक; | (२) प्रबर उमिति के प्रतिवेदन; | (३) संसद में पुराख्यापित विवेदक |
| (अ) (१) प्रधानमंत्री; | (२) मध्यप्रदेश प्रधिनियम; | (३) संसद के उचितियम् |
| (इ) (१) प्रारूप नियम; | (२) उपनियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मोपाल, दिनांक 21 अगस्त 1982

क. 2167-1126-सवह-मेडि-4.—मध्यप्रदेश होम्पोर्टी परिपद् अविनियम, 1976 (क्रमांक 14 सन् 1976) की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश होम्पोर्टी परिपद् (रजिस्टर का प्रकाशन तथा अपील) नियम, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(१) नियम 4 में, उपनियम (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाय, अर्थात्—

“(२) प्रथम रजिस्टर, नियम 6 के उप नियम (२) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि से एक धर्ष के भीतर “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित किया जायगा”.

(२) नियम 6 में, उप नियम (२) में, शब्द “तीन वर्ष” के स्थान पर शब्द “पांच वर्ष छः भास” स्थापित किये जायं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भरत चन्द्र चतुर्वेदी, उपसचिव,

मोपाल, दिनांक 21 अगस्त 1982

क. 2169-1126-सवह-मेडि-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के बाण्ड (३) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसचिवा क. 2167-1126-सवह-मेडि-4, दिनांक 21 अगस्त 1982 का अवैधी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भरत चन्द्र चतुर्वेदी, उपसचिव,

Bhopal, the 21st August 1982

No. 2167-1126-XVII-Medi.-4.—In exercise of the powers conferred by section 51 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 (No. 14 of 1976), the State Government hereby makes following amendment in the Madhya Pradesh Homoeopathy Council (Publication of Register and Appeal) Rules, 1976, namely:—

Amendments

In the said rules,—

- (1) in rule 4, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—
- "(2) The first register shall be published in the Madhya Pradesh Gazette, within one year from the period specified in sub-rule (2) of rule 6".
- (2) in rule 6, in sub-rule (2), for the words "three years", the words "five years six months" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
B. C. CHATURVEDI, Dy. Secy.

उर्जा विभाग

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 1982

क्र. 3636-3787-तेरह-8।.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक डाग प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश विद्युत नियोजकालय राजपरिवत सेवा भर्ती नियम, 1969 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

नियमों की अनुसूची 3 के कालम 5 में उल्लिखित अर्हता के स्थान पर निम्नानुसार अर्हता स्थापित की जाय:—

"अनिवार्य:—किसी मान्य विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की उपाधि वा उसके समकक्ष योग्यता.

यांछनीय:—दिल्ली इंजीनियरिंग के व्यवसाय-का 3 वर्ष का अधिकारी स्तर का अनुमत ऐसी स्थापना का जो कग से कम 500 अरब शक्ति की मोटर का उपयोग करता हो और/वा उच्च विश्व (High tension) उपभोक्ता हो"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जी. खरे, उपसचिव,

31-12-25 man 1
1991-9-17 1993 /

भाग ४ (ग)

शनिवार

सोह स्थान्य एवं परिवार नियोजन विभाग

भौतिक दिनांक 12 अक्टूबर 1978

क्र. 414, नवहू-मडो-4.—मध्यप्रदेश प्रायार्थक पारिषद् अधिनियम, 1976 (कमांक 19, सन् 1976), आंद्रा प्रदेश 21, 22, 26 तथा 48 के साथ पठित धारा 51 की उपत्राया (2) के खंड (ट), (ठ), (ण.) तथा (म) द्वारा प्रदत्त लक्षितयों का प्रयोग करते हुये, राज्य भासन, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्याद—

ନିଯମ

प्रत्यय एवं प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम.—ये नियम, मध्यप्रदेश होम्पोर्टर्स पार्सन (राजस्थान का प्रकाशन तथा अपील) नियम, १९७५ कहलायेंगे।

2. परिभाषा एं.—इन नियमों से जब तक संदर्भ में अन्यथा
अपेक्षित न हो,—

(क) अधिनियम मे ग्रामप्रेत है, मध्यप्रदेश होम्पीसीथ परियद, अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19, तिथि 1976);

(c) "प्रभृति" से अभिव्येत है, इन नियमों से संलग्न प्रवृत्त;

(ग) "धारा" में अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा

(८) वर्ष दे रखिप्रत है, घप्रजी द

३. राज्य होम्पोर्टेची रजिस्टर.—(1) रजिस्टर प्ररूप
असे होया.

(2) रजिस्टर हा प्रत्येक पृष्ठ रजिस्टर हारा सत्यापित तद
इस्तम्भातीर 'किया जावेश.

(३) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पते में हुये किसी भी परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा रजिस्ट्राम को दी जायेगी और रजिस्ट्रार परिवर्तित पते को रजिस्टर में बदलाव नहीं किया जाएगा।

4. रजिस्टर का प्रकाशन।— (1) रजिस्टर प्रत्येक पांच वर्ष में रजिस्टर को पुनरीक्षित करेगा तथा उसमें निम्नलिखित बातों की प्रविष्टि करेगा।

(एक) पहले से ही रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसाइयों की संख्या

(बो) रजिस्टर के पुनरीकाण के पूर्व पांच वर्ष की भ्रवधि के दौरान रजिस्टरीकृत चिकित्सा-व्यवसाइयों की संख्या।

(तीन) उन चिकित्सा-व्यवसायियों की संख्या जिनके नाम
रजिस्टर के पुनरीक्षण के पुर्ववर्ती पांच वर्षों की भवधि व
दौरान रजिस्टर में पन: रखे गये हों:

(चार) उन चिकित्सा-संवादाइयों की संख्या जिनके नाम, एकलट के तुरंगालय के बैंबर्ग वाले घर में ही अवधि के दौरान, स्ट्रिल्स्टर से अधिवेशन की उन उपचारों तथा धारा का इलेक्ट्रो कार्यों को हुआ हुआ दिये गये हैं, जिनके अधीन, नाम हृदय गवे हैं, तथा

(पांच) उन चिकित्सा-व्यवसाइयों की संघर्षा, जिनके नामके रजिस्टर के पुनर्रचना के पूर्ववर्ती पात्र वर्पों का ग्रवर्डि दातान मत्व हो जाने के कारण हटा दिये गये हों।

३ अप्रैल को १८० रुपये में भर्ती भव्यप्रदश राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

(3) पुनरीक्षा रजिस्टर, रजिस्टर के पुनरीक्षण के पूर्वती पांच वर्षों की अवधि पूरी होने के पश्चात्—दिनों में “पीटर” भाग्यपद्म राजगवर्म में प्रकाशित किया जायेगा और पुनरीक्षण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित चिकित्सा-ब्यवसाइयों को उनके प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की सूचना रजिस्ट्रीफ्लूट डाक से दी जायेगी।

(4) इस प्रकार प्रकाशित, यथात्त्वति, प्रदम रजिस्टर या पुनर्रीक्षित रजिस्टर की एक प्रति परिपद के सूचना फलक पर चिपकायी जायेगी।

(5) रजिस्टर की मद्दत प्रतियां, परिपट हारा निश्चित मूल्य ५० विक्री के लिए इमालवाह कराई जा सकेगी।

(6) रजिस्ट्रार अपने पास रजिस्टर की एक अतः पत्र वाली मुद्रित प्राप्त रखेगा, जिसमें उस प्रत्यक्ष वय के बताया जाएगा। प्रविष्टि, जिस्तुतान् या विलोप करेगा, जो आधारयक हो।

५. रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन-पत्र तथा फीस-- (1) धारा २२ की उपधारा (1) के प्रधीन-रजिस्ट्रीकरण का आवेदन-पत्र प्ररूप "अ" में होगा और उसके साथ एक सौ रुपये की फीस के भंगतान का संतोषप्रद प्रमाण-तथा मान्यता प्राप्त अहतार्थों के प्रमाण-पत्र की किसी मर्जिस्ट्रेट या किसी राजसन्निति अधिकारी द्वारा सम्बन्धित रूप से अभिप्राणित सत्यप्रतिलिपि संलग्न की जायेगी। आवेदक प्रपत्त आवेदन-पत्र के समयन में ऐसे अन्य प्रमाण-पत्रों, तथा दस्तावेजों की अभिप्राणित प्रतियां भी संलग्न कर सकेगा जो वह आवश्यक रहमाने और रजिस्टर, आवेदक से ऐसे अन्य प्रमाण-पत्र तथा प्रमाणलेख (टेस्टीमोनियल) या मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिये कह सकेगा, जिरका तत्वापन करना आवश्यक समझा गया हो-

6. रजिस्ट्रीकरण जारी रखने के लिये श्रावेदन-पत्र तथा फीस।—
 (1) घारा 22 की उधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-
 व्यवसायी का गाम प्रविष्ट करने की फीस प्रति रुपये होगी।

(2) धारा 22 की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुके अधीन रजिस्ट्रीड़िकृत चिकित्सा-व्यवसायी का नाम पूनः प्रविष्ट करनेका आवेदन-एवं रूप इ में रजिस्टर से उसका नाम हटाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के भीतर दिया जायगा और नाम पूनः प्रविष्ट करने की प्रतिरिक्त फीस प्रत्येक तीन माह के लिये पाँच रुपये तथा कुल मिलाकर ५३ रुपये से अर्थात् अधिक होगी। ऐसे आवेदन-पत्र के साथ धारा 53 के अधीन निरस्त अधिनियम के अधीन जारी किया गया मूल प्रभास-पत्र दिया जायगा।

7. रजिस्टरीकरण का प्रमाण पत्र.—धरा 22 की उन्धारा (?)
के अनुसार रजिस्टरीकरण का प्रमाण-पत्र ब्रेकर द्वारा जैसा तरह उत्पादित
के लकड़ीन रजिस्टरीकरण का आंतरिक प्रमाण-पत्र प्रदान करने में है।

8. कीस के भुगतान का तरीका—धारा 22 की अपेक्षा (१३) प्रतीन देव कोस का भुगतान मनीषांडि रेतिन (अन्त) । इन द्वारा तकदीर में किसी का शक्ति नहीं है, लेकिन उनकी अवधि अधिक है। यह जाए, तो राजकांड्हार से उनकी राजित शब्द दी जाएगी।

प्रधान तीन—अर्द्धने

9. अपील का ज्ञापन.—अधिनियम ने न्यून प्रदेश शर्तें दी—

- (क) उस आदेश की संसूचना की तारीख से पैत्रिनियर इनों के अधीन फाइल की जायेगी, जिसके विचार अपेल फाइल की जानी हो;

(ख) उसके साथ दस्त स्पष्टीय की फीस का भुगतान का भंति अप्रद प्रमाण दिया जायगा;

(ग) लिखित रूप में होगी;

(घ) उसमें आवेदक के नाम तथा पते का उल्लेख होगा;

(ङ) उसमें उस आदेश की तारीख का उल्लेख होगा, जिसके विचार अपेल फाइल की जानी हो;

(च) उसमें उस तारीख का उल्लेख होगा, जब आवेदक की आदेश की संसूचना दी गई हो।

(छ) उसमें स्पष्ट तथ्य कथन होगा; 'rac

(ज) उसमें आवेदित अनुत्तोष का ठीक-ठीक उल्लेख होगा; और

उस पर अपीलार्यी द्वारा या इस संबंध में उपरके दाता
लिखित रूप में सम्पद् रूप से प्राधिकृत प्रत्येक द्वारा हस्ता-
क्षर किये जायेंगे तथा निम्नलिखित रूप उसे सत्यपित
किया जायेग; अर्थात्—

"मेरी उपर्युक्त अपील के आपन में
नामोंलिखित अपीलार्थी, एतद्वारा, घोषित करता
है कि उसमें दी गई जानकारी मेरे नामोंनव जान
एवं विश्वसन के अनुसार सत्य है।"

३५८

- (2) अपील के ज्ञापन के साथ उत्तर आदेश नहीं प्राप्तिकुल प्रति रागायी जायेगी जिसके विसर्द अपील की रही हो, लेकिं तब कि अपीलर्थ अपील प्रस्तुत करते समय अपीलीय प्राप्तिकुलीय अवस्था भाव से समाधान न करदे तिनों का पर्वानकाम है और ऐसी स्थिति में उसे ऐसे समय के भावार काला किए जानेगा, जो उक्त प्राधिकारी निश्चित करें।

- (3) अपील का ज्ञापन दो प्रतियों में होगा और वह अपीलीय प्राधिकारी को या तो अपीलार्थी द्वारा या उसके एजेंट द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। या वह ऐसे प्राधिकारी को रजिस्ट्रीड डाक द्वारा भेजा जायेगा। जब अपील, अपीलार्थी द्वारा भव्यक् रूप से प्राधिकृत किसी एजेंट द्वारा प्रस्तुत की जाय, तब उसके साथ उसको इस प्रकार नियुक्त करने का भव्यक् रूप से मार्गित प्राधिकार-पत्र लगाया जायगा।

10. अर्थात् औं संविष्टतः द्रव्योकार करना- (1) वदि
द्रव्योकार करना, एवं उसकी विकल्पीय विधियों की पूर्ति
देखना है। इसके नियम अधिकृत विवरणों में दर्शित हैं:

- १० अब यह विषय के बारे में भी प्रश्निक नगर तक संकेतनः
द्यमानी लिखा गया है। इसका उल्लेख एवं विवरण यह है— जीवन के
जलवायन से जुड़ा इस विषय के दैसे उल्लेख, जिहों शर्पलीय प्रतिक्रिया
उपचुप नहीं है। इसका कारण है यह अवधि, १ जिसमें फिर वह प्रियम्
९ की जर्मिकाओं के अपराध निकाला जाए जाए।

- (2) इन्हीं दिनों में अमेरिका के लिए भी संक्षिप्तः अस्वीकृत की गई जारी। इस अधीनीय प्रशिक्षणी-द्वारा अभियोगिता किया जायेगा।

परम्परा, इन उत्तरानियन्थ के अधीन अपील को संभिस्तः अस्वीकृत करने वाला आदेश पारित करने के दूर्व अपीलार्यों को मुनिवाई का सम्मुचित अवधारणा दिया जायगा।

11. अपील की सुनवाई—(1) यदि अपीलीय, प्राधिकारी अपील मंड़ाज्ञानः अपीलकृत न करे, तो वह अपीलार्थी वा उसके सम्पर्क में ने प्राधिकृत एजेंट की सुनवाई की तारीख निश्चित करेंगे।

- (2) उत्तरदाता प्राधिकारी किसी भी अवस्था पर अपील की गतिशीलता को किसी अन्य तारीख के लिये संतुष्ट कर सकता है।

- (3) यदि सुनवाई के लिये निम्नस्थित तरीखों को या ऐसी कीमती अन्य तारीख को जिसके लिये सुनवाई स्थगित कर दी गई हो, तभी लायी उक्त प्राधिकारी के समक्ष या तो व्यक्ति (रूप से या अपीलार्ड द्वारा राम्प्लॉट रूप से प्राधिकृत एजेंट के जरूरि निम्नस्थित न हो) तो उक्त प्राधिकारी अग्रीन को खारिज कर सकेगा या उस पर एक तरासा निण्य कर सकेगा, जैसा भी वह उचित समझे।

- (4) जब उन्न-नियम (.) के अधीन अपील खारिज की जाये या उस पर एक तरफा निर्णय दिया जाये, तब अपीलार्थी ऐसे आदेश की सूचना की तारीख से दिन के भीतर अपीली प्राधिकारी को अपील के उन्नतंदृश वा उन सुनवाई के लिये आवेदन कर सकेगा और यदि अपीलीय प्राधिकारी का इस वात में समाधान हो जाये कि अपीलार्थी वा सम्प्र॒क्त डॉ से भार्याकृत प्रेसेट का उस समवय जब अपील पर सुनवाई के लिये बुलाया गया था, उपस्थित होने में समुचित कारण से रोक दिया गया था, तो वह अपील को व्यय तथा जर्ती संवंधी निवेदनों सहित ऐसे निवेदनों पर, जैसा वह उचित समझे पनःग्रहण कर सकेगा या पुनः सुन सकेगा.

12. अपील में पारित आदेश की प्रति की पूर्ति—अपील में पारित आदेश की एक प्रति अपीलार्डों को निःशुल्क दी जायेगी और उसकी दूसरी प्रति उस अधिकारी को भेजी जायेगी, जिसका आदेश अपील का निषय रहा है।

प्रदान "अ"

[लेखन ५ (१) देखिये]

माता होम्योपैथी निकाल

राजस्टीकरण क्रमांक	नाम तथा पिता/पति का नाम	पता/चिकित्सा स्थान	
(1)	(2)	(3)	(4)

आगु तथा जन्म नहु धारा, निभाने अधीन अहंताये तथा उन्हे तारीख रजिस्ट्रीकरण किया गया प्राप्त करने की तारीख तथा रजिस्ट्रीकरण की और विष्वविद्यालय या नामिय मण्डल आदि का नाम

.....

(5)

(6)

(7)

धारा 22 की उधारा (2) के अधीन नवीनीकरण की तारीख रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर अभ्युक्त तथा फीरा

(8)

(9)

(10)

प्रदान "आ"

[लेखन ५ (१) देखिये]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिसंबर 1976 की धारा 22 की उधारा (1) के प्रधीन अधीन अहंताये के अवधारण-नियम के प्रदान

पति,

रजिस्ट्रार,

राज्य होम्योपैथी पाराम्,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

महोदय,

निवेदन है कि मेरा नाम, मध्यप्रदेश होम्योपैथी प्रसिद्ध अधिनियम, 1976 के अधीन रखे गये राज्य होम्योपैथी रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाये श्रीर मुझे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाए, आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं।

1. पूरा नाम (सप्ट अक्षरों में)
(विवाहित महिला के गामते में विवाह के पूर्व का भी नाम)
2. पिता/पति का नाम
3. निवास स्थान का पता
(मकान क्रमांक, मांहल्ला, इकाय, नाम्बर, जिला)
4. अवधारण-नियुक्ति, यदि वार्द हो
5. अधारसाधिक पता/अवसाय का/के स्थान और प्रत्येक रुपांतर
प्राप्ति काल।
6. आयुष्मान जन्म तारीख
7. (क) अहंता (अधिनियम के अधीन मान्य)
(ख) ऐसी अहंता प्राप्त करने की तारीख
(ग) विष्वविद्यालय/मण्डल/संस्था
(घ) ऐसे प्रशिक्षण का स्थान तथा अवधि।

टिप्पणी.—गुप्ता, निभी माजस्ट्रेट या विभी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक्रूप से अभिप्राणित प्रमाण-पत्र या अहंताओं के दस्तावेजों तथा मेट्रिक्युलेशन/उ. मा. शा. प्रमाण-पत्र की सत्यप्रतियां लगायें।

100 रुपये की विहित फीरा नगद/पोस्टल आर्डर/मनीग्राहर द्वारा प्रेषित को जाती है। देखिये रसीद क्रमांक.... दिनांक... में निष्ठापूर्वक लोकित करता हूँ कि उपर्युक्त सभी प्रविष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही हैं।

भवदीय,

स्थान
तारीख
(आवेदक के हस्ताक्षर)

- (b) "Form" means a form appended to these rules;
 (c) "Section" means a section of "Adhiniyam";
 (d) "Year" means a calendar year.

CHAPTER II-REGISTRATION.

3. State Register of Homoeopathy.—(The Register shall be in Form A.)

(2) Each page of the Register shall be verified and signed by the Registrar.

(3) Any change in the address of the registered practitioner shall be communicated by the registered practitioner to the Registrar and the Registrar shall enter the changed address in the Register accordingly.

4. Publication of the Register.—(1) The Registrar shall revise the Register every five years and enter therein:

- (i) the number of practitioners already registered;
- (ii) the number of practitioners registered during the period of five years preceding the revision of the Register;
- (iii) the number of practitioners whose names have been restored to the Register during the period of five years preceding the revision of the Register;
- (iv) the number of practitioners whose names have been removed from the Register during the period of five years preceding the revision of the Register stating the sub-section and section of the Adhiniyam under which the names have been removed;
- (v) the number of practitioners whose names have been removed by reason of death during the period of five years preceding the revision of the Register.

(2) The first Register shall be published in the "Madhya Pradesh Gazette" within 180 days after three years from the date of constitution of the first Council.

(3) The Revised Register shall be published in the "Madhya Pradesh Gazette" within ... days after completion of the period of five years preceding the revision of the Register and the registered practitioners adversely affected by the revision shall be informed of the adverse effects on them, by registered post.

(4) A copy of the first Register or the revised Register, as the case may be, so published, shall be affixed on the notice-board of the Council.

(5) Printed copies of the Register may be made available for sale at a price to be decided by the Council.

(6) The Registrar shall keep a printed inter leaved copy of the Register wherein he shall make, during each year, any entry, alteration or erasure that may be necessary.

प्रति का नाम अधिकारी के नाम से तथा आदेशानुसार
जिला: उत्तर प्रदेश राज्य राजनीतिक संघर्ष विधान सभा, 1976 के धारा 24 के अनुसार इसका दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश विधान सभा है। अनन्तिम रजिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश राज्य राजनीतिक संघर्ष अन्तिम अन्तर्गत तथा अन्तर्गत है। यह प्रमाण-पत्र तथा नाम १३ दिनों के लिए प्रतिवर्ष वार्षिक पूरी तरह जाये रखा था। इस राज्य हास्पीटीया दरिपद के दीक्षात रमाराह में अद्वितीय प्रदान न कर दी जाती है।

मुद्रा:
भोपाल

रजिस्ट्रार

तारीख:

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लग्न: अधिकारी, उत्तर प्रदेश.

प्रति: उत्तर प्रदेश के अधिकारी ३४८

के अनुच्छेद (३) के दृष्टिकोण से यह विधायक सभा अधिसूचना क्रमांक ४१४७, अनुवाद (१), दिनांक १२ अक्टूबर १९७६ अधिकारी अनुवाद राज्यपाल के दृष्टिकोण अनुसार दिखायी दी जाता है।

लग्न: अधिकारी, राज्य प्रतिवर्ष वार्षिक,

लग्न: अधिकारी, उत्तर प्रदेश.

लग्न: अधिकारी, उत्तर प्रदेश.

CHAPTER I-PRELIMINARY
17-AVIS Med. IV.—In exercise of the powers conferred by clauses (k), (l), (m) and (n) of subsection (2) of section 51 read with sections 21, 22, 23 and 28 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Council Adhiniyam, 1976 (No. 13 of 1976), the State Government, hereby, makes the following rules, namely:—

RULES

CHAPTER I—PRELIMINARY

1. Short title.—These rules may be called the Madhya Pradesh Homoeopathy Council (Publication of Register and Appeal) Rules, 1976.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Adhiniyam" means the Madhya Pradesh Homoeopathy Council Adhiniyam, 1976 (No. 13 of 1976);

5. Application and fees for Registration.—(1) The application for registration under sub-section (1) of section 22 shall be in Form B and shall be accompanied by a satisfactory proof of payment of fee of rupees one hundred and a true copy of certificate of qualifications duly attested by a Magistrate or Gazetted Officer. The applicant may also file or send copies of such other certificates and documents in support of his application as he may think necessary and the Registrar may also require the applicant to furnish such other certificates and documents or the original certificates verification which is considered necessary.

6. Application and fee for continuance of registration.—(1) The fee for entering the name of the registered practitioner under sub-section (2) of section 22 shall be rupees fifty.

(2) The application for re-entering the name of registered practitioner under the first proviso to section (2) of section 22 shall be made in Form C within a period of three years from the date of removal of his name from the Register and the additional fee for re-entering the name shall be rupees five, for every three months, and not exceeding rupees fifty in aggregate. Such application shall be accompanied by the original certificate issued under the Act repealed under section 53.

7. Certificate of registration.—The certificate of registration under sub-section (3) of section 22 shall be in Form D and the provisional certificate of registration under section 24 shall be in Form E.

8. Manner of payment of fee.—The fee required to be paid under sub-section (2) of section 22 may be paid by money order crossed postal order or in cash. In case the fee is paid in cash a receipt thereof shall be obtained from the Registrar.

CHAPTER III—APPEALS

9. Memorandum of Appeal.—Every appeal under the Adhiniyam shall,—

- be filed within forty five days from the date of communication of the order against which the appeal is to be filed;
- be accompanied by a satisfactory proof of payment of a fee of rupees ten;
- be in writing;
- specify the name and address of the appellant;
- specify the date of the order against which the appeal is to be filed;
- specify the date on which the order was communicated to the appellant;
- contain a clear statement of facts;
- State precisely the relief prayed for; and
- be signed and verified by the appellant or an agent duly authorised by him in writing in this behalf in the following form, namely:—

"I the appellant named in the above memorandum of appeal do hereby declare that what is stated therein is true to the best of my knowledge and belief."

(2) The memorandum of appeal shall be accompanied by an authenticated copy of the order against which the appeal is preferred, unless the appellant satisfies the appellate authority at the time of presentation of the appeal that there is good cause for omission in which case it shall be filed within such time as may be fixed by the said authority.

(3) The memorandum of appeal shall be in duplicate and shall either be presented to the appellate authority by the appellant or his agent or sent to such authority by registered post. When an appeal is presented by an agent duly authorised by the appellant it shall be accompanied by a duly stamped letter of authority appointing him as such.

10. Summary Rejection of Appeal.—(1) If the memorandum of appeal does not comply with all or any of the requirements of rule 9, the appeal may be summarily rejected:

Provided that no appeal shall be summarily rejected under this sub-rule unless the appellant is given such opportunity as the appellate authority thinks fit to amend such memorandum of appeal so as to bring it into conformity with the requirements of rule 9.

(2) An appeal may also be summarily rejected on any other grounds which shall be reduced to writing by the appellate authority:

Provided that before an order summarily rejecting an appeal under this sub-rule is passed, the appellant shall be given a reasonable opportunity of being heard.

11. Hearing of appeal.—(1) If the appellate authority does not reject the appeal summarily, it shall fix a date for hearing the appellant or his duly authorised agent.

(2) The said authority may at any stage adjourn the hearing of an appeal to any other date.

(3) If on the date fixed for hearing or any other date to which the hearing may be adjourned, the appellant does not appear before the said authority either in person or through an agent duly authorised by the appellant, the said authority may dismiss the appeal or may decide it ex parte as it thinks fit.

(4) When an appeal is dismissed or decided ex parte under sub-rule (3), the appellant may, within days from the date of communication of such order apply to the appellate authority for readmission or rehearing of the appeal and if the appellate authority is satisfied that the appellant or an agent duly authorised was prevented by sufficient cause from appearing when the appeal was called for hearing, he may readmit or rehear the appeal upon such terms including terms as to cost and conditions as it may think fit.

12. Supply of copy of order passed in appeal.—A copy of the order passed in appeal shall be supplied free of cost to the appellant and another copy shall be sent to the officer whose order forms the subject matter of the appeal.

FORM A

(See rule 3(1))

State Register of Homoeopathy

Registration Number	Name with father's/husband's name	Address	Place of practice	Age with date of birth	Section under which registered and date of registration	Qualification and date when they have been acquired	Date of renewal under section (2) of section 22 and the name of University or board etc.	Signature of Registrar	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

FORM B

(See rule 5 (1))

FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION
UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 22 OF THE
MADHYA PRADESH HOMOEOPATHY COUNCIL
ADHINIYAM 1976State Council of Homoeopathy,
Madhya Pradesh, Bhopal.

Sir

I request that my name may be entered in the State Register of Homoeopathy maintained under the Madhya Pradesh Homoeopathy Council Adhiniyam, 1976, and that I may be furnished with a certificate of Registration Necessary particulars are given below :—

1. Name in full (in block letters)
(Maiden name also in case of married woman)
 2. Father's/Husband's name :
 3. Residential address :
(Home No., Locality' P. O., City/Village, District)
 4. Professional appointment, if any :
 5. Professional address/Place or places of practice and duration of such practice at each place :
 6. Age and date of Birth :
 7. (a) Qualification (recognised under the Adhiniyam) :
 - (b) Date of acquiring such qualification :
 - (c) University/Board/Institution :
 - (d) The place and period of such training :
- (Note :—Please attach true copies of certificate or documents of qualification and Matriculation/ H. S. S. Certificate duly attested by a Magistrate, or a Gazetted Officer.)

The prescribed fee of Rs. 100 is remitted in cash/Postal order/Money order vide No. of receipt dated

I solemnly declare that all the entries above are true to the best of my knowledge and belief.

Place :

Yours faithfully,

Date :

Signature of the Applicant

STATE COUNCIL OF HOMOEOPATHY,
MADHYA PRADESH

Receipt No. and

Date of receipt

Order of the Registered

Signature of receiving officer.

Signature of Registrar.

FORM C

(See rule 6 (x))

FORM OF APPLICATION FOR RE-ENTERING NAME IN
THE STATE REGISTER OF HOMOEOPATHY UNDER
THE FIRST PROVISO TO SUB-SECTION (2) OF
SECTION 22 OF THE MADHYA PRADESH HOMEO-
PATHY COUNCIL ADHINIYAM, 1976.

To

The Registrar,

State Council of Homoeopathy,
Madhya Pradesh,
BHOPAL.

Sir

I request that my name may please be re-entered in the State Register of Homoeopathy under the first proviso to sub-section (2) of section 22 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Council Adhiniyam, 1976. I was a registered practitioner under the Madhya Pradesh Homoeopathic and Biochemic Practitioners Act, 1951. The necessary particulars are given below :—

1. Registration number under the Madhya Pradesh Homoeopathic and Biochemic Practitioners Act, 1951 (since repealed).

1. Name in full (in block letters)
(Maiden name also in case if married woman).
2. Father's/Husband's Name
3. Residential address (House No., Locality, P. O. Town/City, District, etc.)
4. Professional appointment, if any.
5. Professional address/place or places if practice.
6. Age and date of birth.
7. Sub-section and section under which registered under repealed Act.
8. (a) Qualification, if registered under section 16(1).
- (b) Date of acquiring such qualification.
- (c) University/Board/Institution.
- (d) The place and period of such training.

(Note:—Please attach the true copy of certificate of Degree or Diploma, duly attested by a Magistrate or a Gazetted Officer).

*A sum of Rs. (the prescribed fee of Rs. 50 and an additional fee of Rs. at the rate of Rs. 3 for months) is remitted in cash/Postal Order/Money Order, vide receipt No. dated—.....

I solemnly declare that all the entries above are true to the best of my knowledge and belief.

Place:
Date:
Signature of the Applicant:

STATE COUNCIL OF HOMOEOPATHY,
MADHYA PRADESH

Receipt No.
Date of Receipt.

Order of the
Registrar.

Signature of
receiving clerk.

Signature of Registrar.

FORM D

STATE COUNCIL OF HOMOEOPATHY,
MADHYA PRADESH

(Corporate seal)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No. Date

Certificate is granted that Shri/Shrimati son/daughter/wife/widow of resident of district of Madhya Pradesh has been duly registered as a registered practitioner under section 22 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Council, Adinivayam, 1976.

In witness whereof are herewith affixed the signature of the Registrar and seal of the Council.

Seal

Bhopal :

Dated:

Registrar.

FORM E
(See rule 7)

STATE COUNCIL OF HOMOEOPATHY,
MADHYA PRADESH

Seal

Provisional Certificate of Registration

Certified that Shri son/daughter/wife/widow of resident of district has been granted provisional registration under section 24 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Council, Adinivayam, 1976, on passing the examination. His registration number is Prov. No. and he is a member of the Provisional Registration Register. This certificate shall be valid till the completion of his training period and the qualification is conferred upon him at a convocation held by the State Council of Homoeopathy.

Bhopal :

Dated:

Registrar.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
K. P. SRIVASTAVA, Dy. Secy.

विवरण, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, मोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1976.

डाक-न्यू की पृष्ठ-अदायगो के
विना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए
अनुमति-अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-
एम. पी. 2-डब्ल्यू-पी/505/2000.



पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम.पी. 108/भोपाल/2000.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 736]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2000—अग्रहायण 21 शक 1922

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2000

क्र. एफ 16-84-98-पचपन-चिशि-2.—मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976) की धारा 21,22,26 तथा 48 के साथ पठित धारा 51 की उपधारा (2) के खंड (ट) (ट) (ण) तथा (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम घोषित करता है, अर्थात् :—

नियम

अध्याय एक—प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम।—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद (रजिस्टर का प्रकाशन तथा अपील) नियम, 2000 है।
- परिभाषाएँ।—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976) ;
 - “परिशिष्ट” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट;
 - “प्रृष्ठ” से अभिप्रत है, इन नियमों से संलग्न प्रृष्ठ;
 - “धारा” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ;
 - “अनुसूची” से अभिप्रेत है, अधिनियम तथा होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 से संलग्न अनुसूची;
 - “वर्ण” से अभिप्रेत है कलेण्डर वर्ष।

अध्याय दो—रजिस्ट्रीकरण

३. होमियोपैथी के राज्य रजिस्टर.—(१) २१ के अधीन रजिस्टर प्ररूप “क” “ख” तथा “ग” में रखे जायेंगे।—
- (१) धारा 22 की उपधारा (१) के अधीन रजिस्टर प्ररूप “क” में उन व्यक्तियों के लिये होगा जो अधिनियम की अनुसूची में वर्णित अहत रखते हो;
 - (२) धारा 22 की उपधारा (२) के अधीन रजिस्टर प्ररूप “ख” में उन व्यक्तियों के लिए होगा, जो मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद अधिनियम, 1976 द्वारा निर्सित मध्यप्रदेश होमियोपैथिक तथा बायोकेमिक प्रेविटशनर परिषद अधिनियम, 1951 की धारा 16(२) के अधीन नामांकित किए गए थे और जो मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद (रजिस्टर का प्रकाशन तथा अपील) नियम, 1976 के नियम ३ (१) के अधीन रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट थे;
 - (३) धारा 24 के अधीन रजिस्टर प्ररूप “ग” में उन व्यक्तियों के लिए होगा, जिनके लिए अहक परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये प्रशिक्षण लेना अपेक्षित है।
 - (४) मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद (रजिस्टर का प्रकाशन तथा अपील) नियम, 1976 के अधीन रखे गये रजिस्टर में प्रविष्ट व्यक्तियों के नये रजिस्ट्रीकरण क्रमांक प्ररूप “क” तथा “ख” में संबंधित रजिस्टरों में अनुपूर्व क्रम में आवंटित किए जायेगा और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्ररूप “घ” में जारी किया जाएगा;
 - (५) रजिस्टर का प्रत्येक पृष्ठ रजिस्टर द्वारा सत्यापित तथा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
४. सत्यापन तथा नवीकरण.—(१) रजिस्टर, प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् राज्य होमियोपैथी रजिस्टर का सत्यापन करेगा और ऐसे समस्त व्यवसायियों को जिनका नामांकन अधिनियम की धारा 22 के अधीन इन नियमों के प्रकाशन को तारीख से एक वर्ष से पूर्व का हो, नवीकरण के लिए भूम्चना राज्य के कम से कम दो समाचार पत्रों में अधिसूचना के माध्यम से देगा और प्रृष्ठ प्ररूप “ड” में आवेदन के साथ एक सूचना पत्र भेजेगा।
- (२) प्रत्येक व्यक्ति, एक वर्ष के भौतिक या इन नियमों के प्रकाशन के पश्चात् प्रथम बार परिषद द्वारा नियत किसी अन्य तारीख को और नवीकरण के पांच वर्ष की सनाप्ति से १८० दिन के भौतिक उसके रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के साथ प्ररूप “ड” में आवेदन करेगा तथा परिशिष्ट में यथा विनिर्दिष्ट नोट का तुगतान करेगा।
 - (३) इन नियमों के अधीन देय रजिस्ट्रीकरण फीस और अन्य फीस ऐसी होगी जैसी कि परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट की जाए।
 - (४) प्रत्येक नवीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र पृष्ठांकित किया जाएगा और उसकी तस्थानी प्रविष्ट होमियोपैथी के राज्य रजिस्टर में की जाएगी, जो रजिस्टर द्वारा अनुप्रमाणित और हस्ताक्षरित की जाएगी। प्रविष्ट के सत्यापन के पश्चात् प्ररूप “घ” में प्रमाण-पत्र संबंधित व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।
 - (५) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (२) के अनुसार परिशिष्ट में यथा-विनिर्दिष्ट फीस के साथ आवेदन करने में असफल रहता है तो अधिनियम की धारा 22 के अधीन उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा। वह परिशिष्ट में यथा-विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करने के पश्चात् प्ररूप “च” में अगले नाम के प्रत्यावर्त्तन के लिए आवेदन कर सकेगा।
५. रजिस्टर का प्रकाशन.—(१) रजिस्टर प्रत्येक पांच वर्ष में रजिस्टर पुनरोक्षित करेगा और उसमें निम्नलिखित को प्रविष्ट करेगा :—
- (क) पहले से रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों की संख्या;
 - (ख) रजिस्टर के पुनरोक्षण के पूर्ववर्ती पांच वर्ष की कालावधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों की संख्या;
 - (ग) उन व्यवसायियों की संख्या, जिनके नाम रजिस्टर के पुनरोक्षण के पूर्ववर्ती पांच वर्ष की कालावधि के दौरान रजिस्टर से हटाये गए हों;
 - (घ) उन व्यवसायियों की संख्या जिनके नाम रजिस्टर के पुनरोक्षण के पूर्ववर्ती पांच वर्ष की कालावधि के दौरान रजिस्टर में प्रत्यावर्त्तित किए गए हों; और

(१) उन व्यवसायियों की संख्या, जिनके नाम, रजिस्टर के पुनरीक्षण के पूर्ववर्ती पांच वर्ष की कालावधि के दौरान मृत्यु के कारण हटाये गए हों।

(२) रजिस्टर के पुनरीक्षण के पूर्ववर्ती पांच वर्ष की कालावधि के पूर्ण होने के पश्चात् 180 दिन के भीतर पुनरीक्षित रजिस्टर मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और पुनरीक्षण से प्रतिकूलतः प्रभावित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों (प्रेक्टिशनर्स) को, उन पर प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा सूचित किया जाएगा।

(३) इस प्रकार प्रकाशित यथास्थिति नियम ३ के अनुसार रजिस्टर या पुनरीक्षित रजिस्टर की एक प्रति परिषद के सूचना पटल पर लगायी जाएगी।

(४) रजिस्टर की मुद्रित प्रतियां परिषद द्वारा विनिश्चित की गई कीमत पर विक्रय के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।

(५) रजिस्टर, प्रत्येक वर्ष के दौरान की गई, परिवर्तित की गई या मिटाई गई समस्त प्रविष्टियों को सत्यापित और अधिप्रमाणित करेगा।

६. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र तथा फोस.—धारा 22 की उपधारा (१) के अधीन प्रविष्टि के लिये आवेदन—पत्र प्रूप “च” में होगा और उसके साथ परिशिष्ट में यथा विनिर्दिष्ट फोस के भुगतान की रसीद और किसी मजिस्ट्रेट या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्बन्धित रूप से, अनुप्रमाणित मान्यता प्राप्त अहंता के प्रमाण-पत्र की एक सत्यप्रतिलिपि होगी। आवेदक, अपने आवेदन-पत्र के समर्थन में ऐसे अन्य प्रमाण-पत्रों और दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतिलिपियां भी संलग्न कर सकेगा। रजिस्टर, सत्यापन के लिए आवेदक से अन्य मूल प्रमाण-पत्र/दस्तावेज देने को अपेक्षा कर सकेगा।

७. अनंतिम रजिस्ट्रीकरण.—(१) किसी अध्यर्थी को, अहंक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, प्रशिक्षण लेने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने उस मान्यता प्राप्त संस्था के, जिसमें आवेदक को प्रशिक्षण लेने के लिये कहा गया है, प्राचार्य के माध्यम से प्रूप “ज” में आवेदन न कर दिया हो और अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए फोस का भुगतान न कर दिया हो।

(२) अधिनियम की धारा 24 के अधीन मंजूर किया गया अनंतिम रजिस्ट्रीकरण परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा सफल अध्यर्थी को डिप्लोमा/डिग्री प्रदान किये जाने की उस तारीख से ऐसी कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो छह मास से अधिक न हो।

(३) वे व्यवसायी जिन्हें प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् प्रूप “ज” में अनंतिम रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है अपना डिप्लोमा/डिग्री अधिप्राप्त करेगा तथा अधिनियम की धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उपनियम (२) के अधीन नियत किए गए छह मास के भीतर उसकी सम्बन्धित रूप में अनुप्रमाणित प्रति रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा।

(४) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (३) के अधीन उसमें विहित समय के भीतर आवेदन करने में असफल रहता है तो वह अधिनियम की धारा 24 के खण्ड (क) या (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं रहेगा और उसका नाम राज्य रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। अपने नाम के पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने पर वह परिशिष्ट में यथाविनिर्दिष्ट विलंब फोस का भुगतान करने के लिये दायी होगा।

८. अहंता का जोड़ा जाना.—कोई भी व्यक्ति, जो अपने नाम के सामने अतिरिक्त अहंता की प्रविष्टि करने की सूचना देता है वह प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन कर सकेगा और परिशिष्ट में यथा विनिर्दिष्ट फोस का भुगतान करेगा।

९. रजिस्ट्रीकरण की दूसरी प्रति,—रजिस्टर को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को दूसरी प्रति के लिए आवेदन, दूसरी प्रति अधिप्राप्त करने का कारण दर्शात् हुए शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा और परिशिष्ट में यथा विनिर्दिष्ट फोस का भुगतान किया जाएगा।

१०. नाम या उपनाम का परिवर्तन.—कोई व्यवसायी (प्रेक्टोशनर) जो अपना नाम या उपनाम अथवा पता परिवर्तित करना चाहता है तो वह अंकमंडाक का ऐसे परिवर्तन के लिए सकूत के साथ, एक आवेदन करेगा तथा परिशिष्ट में यथाविनिर्दिष्ट फोस का भुगतान करेगा। रजिस्टर प्रविष्टि में परिवर्तन करेगा तथा आवेदक को लिखित में सूचित करेगा।

११. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र.—धारा 22 की उपनियम (३) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रूप “ज” में होगा तथा धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाण-पत्र प्रूप “ज” में होगा।

१२. राज्य से बाहर सत्यापन.—यदि कोई व्यक्ति जो मध्यप्रदेश राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य से मान्यता प्राप्त अहंता रखता है, यदि परिषद का गंतव्यनीकरण के लिये आवेदन करता है तो वह सत्यापन के लिए विहित फोस का भुगतान करने के लिए दायी होगा। यदि परिषद से रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए अन्य परिषद/बोर्ड से सत्यापन के लिए कहा जाता है तो रजिस्टर परिशिष्ट में यथा विनिर्दिष्ट फोस की प्राप्ति के पश्चात् ऐसे प्रमाणों का सत्यापन करेगा।

13. फोस के भुगतान की रीति.— इन नियमों के अधीन भुगतान किए जाने के लिए अपेक्षित फोस का भुगतान नगद/ मनीआईर या रजिस्ट्रार को देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा।

अधिकारी द्वारा— अधीन

14. अपील का ज्ञापन.— अधिनियम की धारा 48 के अधीन प्रत्येक अपील;—

- (क) उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील फाईल की जाना है, संसूचना की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर फाईल की जाएगी;
- (ख) परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट फोस के भुगतान के समाधानप्रद सबूत के साथ होगी;
- (ग) लिखित में की जाएगी;
- (घ) में आवेदक का नाम तथा पता विनिर्दिष्ट होगा;
- (ङ) में उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील फाईल की जानी है, तारीख विनिर्दिष्ट की जाएगी.
- (च) में वह तारीख विनिर्दिष्ट को जाएगी जिस पर अपीलार्थी को आदेश की संसूचना दी गई थी;
- (छ) के साथ तथ्यों का विवरण संलग्न होगा;
- (ज) में प्रार्थित अनुतोष प्रमिततः अधित किया जाएगा; और
- (झ) अपीलार्थी या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्ररूप में हस्ताक्षरित तथा सत्यापित की जाएगी, अंर्थात् :—

“ मैंउपर्युक्त अपील के ज्ञापन में नामांकित अपीलार्थी, एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि इसमें जो कथित किया गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है। ”

हस्ताक्षर

(2) अपील के ज्ञापन के साथ उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अधिप्रमाणित प्रति होगी, ऐसे मामले में, जब तक कि अपीलार्थी अपील प्रस्तुत करते समय अपील प्राधिकारी का यह समाधान न कर दें कि चूक के लिए पर्याप्त कारण है, वह ऐसे समय के भीतर फाईल की जाएगी, जैसा कि उक्त प्राधिकारी द्वारा नियत किया जाए।

(3). अपील का ज्ञापन दो प्रतियों में होगा तथा वह अपील प्राधिकारी को या तो अपीलार्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा ये, उक्त प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा। जब अपील अपीलार्थी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाए तो उसके साथ उसे इस प्रकार नियुक्त करने वाला सम्यक् रूप से स्वापित प्राधिकार पत्र होगा।

15. अपील का संक्षेपतः नामंजूर किया जाना.—(1) यदि अपील का ज्ञापन नियम 14 की समस्त अपेक्षाओं या उनमें से किसी अपेक्षा का अनुपालन नहीं करता है तो अपील संक्षेपतः नामंजूर की जा सकेगी :

परन्तु इस उपनियम के अधीन कोई अपील तब तक संक्षेपतः नामंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलार्थी को अपील के ऐसे ज्ञापन में संशोधन करने का ऐसा अवसर, जैसा कि अपील प्राधिकारी उचित समझे, न दे दिया जाए जिससे कि उसे नियम की अपेक्षाओं के अनुरूप लाया जा सके।

(2) कोई अपील किन्हीं अन्य आधारों पर भी संक्षेपतः नामंजूर की जा सकेगी जिसे अपील प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा :

परन्तु इस उपनियम के अधीन किसी अपील को संक्षेपतः नामंजूर करने वाला आदेश पारित किए जाने के पूर्व, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

16. अपील की सुनवाई.—(1) यदि अपील प्राधिकारी अपील संक्षेपतः नामंजूर नहीं करता है तो वह अपीलार्थी या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा।

(2) उक्त प्राधिकारी किसी भी प्रक्रम पर अपील की सुनवाई किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित कर सकेगा।

(3) यदि सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख को या किसी अन्य तारीख, को, जिस तक सुनवाई स्थगित की गई है, अपीलार्थी या तो व्यक्तिः या अपीलार्थी द्वारा सम्प्रक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता के माध्यम से उक प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उनक प्राधिकारी, अधीन को खारिज कर सकेगा या एकपक्षीय विनिश्चय कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(4) यदि उपनियम (3) के अधीन अपील खारिज कर दी जाए या एकपक्षीय विनिश्चय किया जाए तब अपीलार्थी, ऐसे आदेश की समूचना को तारीख से 60 दिन के भीतर अपील अधिकारी को अपील के पुनःग्रहण या पुनः सुनवाई के लिए आवेदन कर सकेगा तथा यदि अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि अपील की सुनवाई के लिए पुकारे जाने पर अपीलार्थी या उसके द्वारा सम्प्रक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को तब उसे उपस्थित होने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था, वह अपील को ऐसे निंबन्धनों जिसमें खर्च संबंधी निवंधन सम्मिलित हैं तथा शर्तों पर, जैसा वह उचित समझे, पुनः ग्रहण या पुनः सुनवाई कर सकेगा।

17. अपील में पारित किये गये आदेश की प्रति का प्रदाय.—अपील में पारित किये गये आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदाय की जाएगी तथा दूसरों प्रति उस अधिकारी को भेजी जाएगी जिसके आदेश से अपील की विषयवस्तु तैयार हुई हो।

18. परिषद इन नियमों से संलग्न प्ररूपों में, यदि अपेक्षित हो, सुधार कर सकेगी,

19. निरसन तथा व्यावृत्ति.—इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त इन नियमों के तत्त्वानी समस्त नियम एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन या तो धारा 22 या धारा 24 के अधीन पूर्ण है और फीस जमा कर दी गई है किन्तु इस प्रकार निरस्त किया जाते हैं कि अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किए जाने के लिए लंबित है तो यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्त्वानी उपबंधों के अधीन किया गया है।

प्ररूप "क"

[नियम 3 (1) देखिए]

राज्य होमियोपैथी रजिस्टर

अनु.क्र.	पिता/पति के नाम सहित नाम	जन्म तारीख	निवास तथा व्यवसाय का स्थान	शैक्षणिक तथा चिकित्सीय अहंता	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम जहाँ से अहंता प्राप्त की
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख	नवोकरण की तारीख	नाम हटाये जाने के कारण तारीख तथा नियम जिसके अधीन हटाया गया है	पुनः प्रविष्टि की तारीख	रजिस्टर के हस्ताक्षर	अतिरिक्त अहंता तथा तारीख	टिप्पणियाँ
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

प्रृष्ठ "ख"

[नियम 3 (2) देखिए]

अनु. क्र.	पिता/पति के नाम सहित	जन्म तारीख	निवास का पता	शैक्षणिक तथा चिकित्सीय अहंता	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख	धारा 22(2) के अधीन में पुनः प्रविष्टि तथा तारीख	निरसित नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख	नवोकरण की तारीख	नाम हटाये जाने का कारण तारीख तथा नियम जिसके अधीन हटाया गया है।	पुनः प्रविष्टि की तारीख	रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर	अतिरिक्त अहंता तथा तारीख	टिप्पणियां
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

प्रृष्ठ "ग"

[नियम 3 (3) देखिए]

अनु. क्र.	पिता/पति के नाम सहित नाम	जन्म तारीख	निवास का पता	शैक्षणिक तथा चिकित्सीय अहंता	उत्तीर्ण होने का वर्ष	संस्था का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

उस बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, जहाँ से चिकित्सीय अहंता उत्तीर्ण की है।	अनंतिम रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	वह तारीख जिस पर इंटर्नशिप पूर्ण की है।	धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण	वह तारीख जिसको डिलोमा/डिप्रो जारी की गई।	टिप्पणियां	रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

परिशिष्ट

[नियम 4 (3) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य मामलों के लिए परिषद को देय फीस

अनुक्र. (1)	विविचित्रण (2)	फीस को दर (3)	नियम क्रमांक (4)
1.	नवीकरण फीस	रु. 300/-	4 (ख)
2.	नवीकरण विलंब फीस	रु. 50/-	4 (ड)
3.	धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस	प्रतिमास अधिकतम रु. 300/- के अध्यधीन	6
4.	धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस	रु. 1500/-	7(1)
5.	धारा 24 से धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए विलंब फीस	रु. 100/- प्रतिमास रु. 500/- के अध्यधीन	7(4)
6.	अहता की अतिरिक्त प्रविष्टि के लिए फीस	रु. 300/-	8
7.	रजिस्ट्रीकरण की द्वितीय प्रति के लिए फीस	रु. 500/-	9
8.	उपनाम या पते के परिवर्तन के लिए फीस	रु. 200/-	10
9.	सत्यापन फीस	रु. 500/-	12
10.	अपील फीस	रु. 100/-	14 (ख)

टिप्पणी.—विहित फीस, डाक प्रभार को अपवर्जित करके हैं जो परिषद द्वारा कहे जाने पर पृथक से देय होंगे।

प्ररूप "घ"

[नियम 3 (4) देखिए]

राज्य होमियोपैथी परिषद, मध्यप्रदेश

पास पोर्ट
फोटो

मुद्रा

रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण पत्र

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तारीख

प्रमाण-पत्र दिया जाता है कि श्री/कु. श्रीमती
 पत्र पुत्री/पत्नी/परिवारी निवासी
 जिला मध्यप्रदेश को, मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद, अधिनियम, 1976 को धारा 22 के अधीन रजिस्ट्रीकृत
 होमियोपैथिक चिकित्सा व्यवसायी के रूप में सम्पूर्ण रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि व्यवसायी का नाम राज्य होमियोपैथी रजिस्टर में चालू रखा गया है और तारीख को
 प्रमाण-पत्र नवोकृत किया गया है/पुनः प्रविष्ट किया गया है।

उपरोक्त ग्रन्थ कलम पर्वती रजिस्ट्रेशन के वर्तमान में तथा होमियोपैथी मुद्रा लगाउं गई है।

(मुद्रा)

भोपाल

तारोख

नवीकरण तारोख

रजिस्ट्रार

मुद्रा

रजिस्ट्रार

मुद्रा

परिषद् में रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी से वह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने निवासीय पते/व्यावसायिक पते में परिवर्तन, सरकारी सेवा में नियुक्ति, अतिरिक्त अर्हता, अंजित करने के संबंध में परिषद् को तुरन्त सूचित करें। यदि वह नवीकरण रजिस्टर में उसका नाम चालू रखने तथा राज्य होमियोपैथी रजिस्टर में उसका नाम सूचना के बिना राज्य होमियोपैथी रजिस्टर में से हटा दिया जाएगा।

प्ररूप “ड”

[निम्न 4 (1) देखिए]

नवीकरण हेतु आवेदन

पास पोर्ट
फोटो

प्रति,

रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश राज्य होमियोपैथी परिषद्,
73, जौन-2, एस.पी.नगर,
भोपाल : 462011.

महोदय,

1. मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 के उपर्युक्तों के अधीन राज्य होमियोपैथी रजिस्टर में मेरा नाम क्रमांक पर प्रतिष्ठित किया गया है तथा मुझे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक जारी किया गया है। मेरा नाम उक्त रजिस्टर में चालू रखने हेतु मूल प्रमाण-पत्र तथा फोस रुपये 300/- नकद में/बैंक ड्राफ्ट क्रमांक (बैंक का नाम) तथा तोन पास पोर्ट फोटो संलग्न हैं।

2. मैं नवीकरण तथा राज्य होमियोपैथी रजिस्टर में अपना नाम चालू रखने हेतु आवेदन करने में असफल रहा हूँ। नवीकरण फोस रु. 300/- तथा अधिकतम रु. 300/- के अध्यधीन रहते हुए अतिरिक्त वित्तन फोस रु. 50/- प्रतिमास कुल राशि रु. नकद में/बैंक ड्राफ्ट क्रमांक (बैंक का नाम) के माध्यम से संलग्न है।

3. (1) आवेदक का नाम (हिन्दी में)

(अंग्रेजी में)

(2) पिता/पर्वत का नाम

(3) व्यवसाय का स्थान

(4) जन्म तारीख

तारीख

मास

वर्ष

(अंग्रेजी कलेण्डर में)

(5) अहंता (क) सामान्य चिकित्सीय

(ख) अतिरिक्त अहंता यदि जोड़ी गई हो.

(6) अहंता अर्जित करने की तारीख तथा वर्ष

(7) विश्वविद्यालय/बोर्ड जहां से अहंता अर्जित की गई

सामान्य

चिकित्सीय

(8) रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख

मामला क्रमांक

(9) किसी आपराधिक या वैतिक अवचार में न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है।

दंड की घटृति

न्यायालय का नाम

(10) नवीकरण फीस

नकद

वैंक ड्राफ्ट क्रमांक

वैंक का नाम

विलंब फीस

भास के स्तर

रु. (कुल)

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोक्तम जास एवं अभिलेखों के आधार पर सत्य है, प्रशासा-पत्रों (टेस्टीमेनिअल) को अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं।

(आवेदक का नाम तथा हस्ताक्षर)

कार्यालय के उपयोग के लिए

उल्लेखन करता है कि,—

- (१) नवीकरण फोस रु..... चिलंब फीस रु..... रसीद क्रमांक
- तारीख प्राप्त की गई.
- (२) आवेदन के साथ मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है.
- (३) नवीकरण की प्रविष्टि रजिस्टर के पृष्ठ क्रमांक पर की गई है.

(भागीकरण के हस्ताक्षर)

(रजिस्ट्रर के हस्ताक्षर)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, जावक क्र. तारीख को रजिस्ट्रीकृत जावक द्वारा रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तारीख से भेजा गया।

प्रेषक के हस्ताक्षर

प्रूफ "च"

(नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 की धारा 22 वीं उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए

आवेदन-पत्र का प्ररूप

प्राप्ति

गौहान्नाम,
गैच्य होमियोपैथी परिषद्,
मध्यप्रदेश
१३, जान २-एम, चौ. नगर,
मध्यप्रदेश-४६२०११।

पासपोर्ट फोटो

भर्ता

निवेदन है कि मेरा नाम, मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 के अधीन रखे गए राज्य होमियोपैथी रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाय नक्ता मुझे गजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाए। आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :—

मेरा नाम (हिन्दी में)

(अंग्रेजी में)



- (3) इन्हर्निंशप प्रमाण-पत्र
- (4) फीस रसीद
- (5) मूल अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र
- (6) वृत्तिक शपथ-पत्र

टिप्पणी:—कृपया मेट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण-पत्र अहंता संबंधी प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्राणित प्रतियां संलग्न करें किन्तु अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मूल रूप से अनुप्राणित किया जाना चाहिए.

रजिस्ट्रीकरण हेतु रूपये 1500/- की अपेक्षित फीस/रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मनीआर्डर द्वारा /नगद भुगतान किया गया है कृपया रसीद क्रमांक तारीख देखिए.

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त सभी प्रविष्टियां 'मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य हैं'.

आवेदन-पत्र के साथ दो पासपोर्ट साइज के फोटो संलग्न हैं.

स्थान

भवदीय

तारीख.....

(आवेदक का नाम तथा हस्ताक्षर)

प्ररूप "छ"
[नियम 7 (1) देखिए]

मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद्

(मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 की धारा 24 के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन)

प्राप्त,

रजिस्ट्रार,
राज्य होमियोपैथी परिषद्
73, जोन-2-एम. पी. नगर,
भोपाल.

महादेव,

कृपया मेरा नाम, मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 के अधीन रखे गए प्ररूप "ग" में राज्य होमियोपैथी रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाय और मुझे अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाए.

1. प्रानाम (हिन्दी में)
.....
(अंग्रेजी में)
.....

(विवाहित महिला को विवाह के पूर्व का भी नाम वर्णित करना चाहिए)

2. पिता /पति का नाम _____

3. निवास स्थान का पता
.....

4. आयु तथा जन्म तारीख

5. शोक्षणिक अर्हता :—

(क) अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्द्धता 2

(ख) शैक्षणिक अर्हता
.....

6. (क) तथा (ख) के अधीन परीक्षा उत्तीर्ण करने का धर्व
.....

7. संस्था/बोर्ड/परिषद्/विश्वविद्यालय जहां से उत्तीर्ण की हैं

8. होमियोपैथिक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश का वर्ष
तथा नामांकन क्रमांक

टिप्पणी।—(1) होमियोपैथी पाठ्यक्रम परीक्षा की अन्तिम परीक्षा की अंकसूची, जन्म तारीख को दर्शाने वाले बोर्ड/विश्वविद्यालय, के प्रमाण पत्र की राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा साम्यक रूप से अनुप्रमाणित प्रतियां।

(2) डाक प्रभार को सम्मिलित करते हुए अपेक्षित फीस रूपये..... के लिए लिखित चैक ड्राफ्ट क्रमांक
..... के माध्यम से प्रेषित की गई या रसीद क्रमांक..... तारीख.....
द्वारा नगद दी गई.

स्थान

भवदीय

तारोखः

आवेदक का नाम तथा हस्ताक्षर

कार्यालय मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् के उपयोग हेतु

को प्राप्त फीस/ रकम

क्या आवेदन पूर्ण/अपूर्ण है और पूर्ण फीस प्राप्त की गई है।

रजिस्ट्रार का आदेश

भार साधक लिपिक के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर

प्रसूप "ज"

[नियम 7 (3) देखिर]

राज्य होमियोपैथी परिषद् मध्यप्रदेश

रजिस्ट्रीकरण की अनंतिम प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती
 पुत्र/ पुत्री/पत्नी. निवासी जिला.
 को परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 की धारा 24 के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण मंजूर प्रदान किया गया है, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रर के अनुसार उसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तारीख.
 है यह प्रमाण पत्र उसके प्रतिशिक्षण की कालावधि पूर्ण होने और या राज्य होमियोपैथी परिषद् या विश्वविद्यालय द्वारा अयोग्यित दीक्षांत समारोह में अर्हता प्रदान किये जाने तक विधिमान्य रहेगा।

भोपाल

रजिस्ट्रार

तारीख

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. के. स्वाई, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2000

क्र. एफ.-16-84-98-पचपन-चिशि-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग को अधिसूचना क्रमांक एफ. 16-84-98-पचपन-चिशि-2, दिनांक 11 दिसम्बर 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. के. स्वाई, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th December 2000

No. F. 16-84-98-LV-ME-2.—In exercise of the powers conferred by clauses (k), (l), (o) and (q) of sub-section (2) of Section 51 read with Sections 21, 22, 26 and 48 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Council Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976), the State Government repeals the Madhya Pradesh Homoeopathy Council (Publication of Register and Appeal) Rules, 1976 and all amendment made thereafter and hereby substitutes the following rules, namely:—

RULES

Chapter I—Preliminary

1. **Short title.**—These rules may be called the Madhya Pradesh Homoeopathy Council (Publication of Register and Appeal) Rules, 2000.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Adhiniyam" means the Madhya Pradesh Homoeopathy Council Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976);
- (b) "Appendix" means the Appendix appended to these rules;
- (c) "Form" means the forms appended to these rules;
- (d) "Section" means a Section of the Act;
- (e) "Schedule" means the schedule appended to the Adhiniyam and Homoeopathy Central Council Act, 1973;
- (f) "Year" means a calendar year.

Chapter II—Registration

3. **State Registers of Homoeopathy.**—The Registers under Section 21 shall be maintained in Form "A" "B" and "C".

(1) The Register for sub-section (1) of Section 22 shall be in Form "A" for persons who possess qualification mentioned in the Schedule of Adhiniyam.

(2) The Register for sub-section (2) of Section 22 Shall be in Form "B" for persons who were enrolled under Section 16 (2) of the Madhya Pradesh Homoeopathic and Biochemic Practitioners Act, 1951 repealed by the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 and who were entered in the register maintained under rule 3(1) of the Madhya Pradesh Homoeopathy Council (Publication of Register and Appeal) Rules, 1976.

(3) The Register for Section 24 shall be in Form "C" for persons required to undergo for training for a period specified in the recognised courses to pass the qualifying examination.

(4) The persons entered in the register maintained under the Madhya Pradesh Homoeopathy Council (Publication of Register and Appeal) Rules, 1976 shall be allotted new registration numbers in the sequential order in respective registers in Form "A" and "B" and certificate of Registration in Form "D" shall be issued.

(5) Each page of the Register shall be verified and signed by the Registrar.

4. **Verification and Renewal.**—(1) The Registrar shall verify the State Register of Homoeopathy after every five years and shall intimate for renewal to all such practitioners enrolled earlier than one year from the date of publication of these rules under section 22 of the Act, through a notification in atleast two State News papers, and send a letter of intimation alongwith an application in Form "E".

(2) Every person, within one year or on any other date fixed by the Council for the first time after publication of these rules and within 180 days from the expiry of five years of renewal, shall apply in Form "E" alongwith his certificate of registration, and pay the fee as specified in the Appendix.

(3) The Registration fee and other fees payable under these rules shall be such as specified in the Appendix.

(4) Every registration certificate renewed, shall be endorsed and its corresponding entry shall be made in the State Register of Homoeopathy, which shall be attested and signed by the Registrar. After verification of the entry, the certificate and the registration card shall be issued to the concerned practitioner.

(5) If any person fails to apply alongwith the fee as specified in the Appendix in accordance with sub-rule (2) his registration under section 22 of the Adhiniyam, shall be cancelled. He may apply for restoration of his name in Form "F" after paying the fee as specified in the Appendix.

5. Publication of the Register.—(1) the Registrar shall revise the register every five year and enter therein:—

- (a) the number of practitioners already registered;
- (b) the number of practitioners registered during the period of five years preceding the revision of the Register;
- (c) the number of practitioners whose names have been removed from the register during the period of five years preceding the revision of the Register stating the sub-section and Section of the Adhiniyam under which the names have been removed;
- (d) the number of practitioners whose names have been restored to the register during the period of five years preceding the revision of the register; and
- (e) the number of practitioners whose names have been removed by reason of death during the period of five years preceding the revision of the register.

(2) The revised register shall be published in the Madhya Pradesh Gazette within 180 days after completion of the period of five years preceding the revision of the register and the registered practitioners adversely affected by the revision shall be informed of the adverse effects on them, by registered post.

(3) A copy of the register in accordance with rule 3 or the revised register, as the case may be, so published, shall be affixed on the notice-board of the Council.

(4) Printed copies of the register may be made available for sale at a price to be decided by the Council.

(5) The Registrar shall verify and authenticate all entries that may be made, altered or erased during each year.

6. Application and fees for Registration —The application for entry under sub-section (1) of Section 22 shall be in Form "F" and shall be accompanied by a receipt of payment of fee as specified in the appendix, and a true copy of certificate of recognised qualification duly attested by a Magistrate or a Gazetted Officer. The applicant may also enclose attested copies of such other certificates and documents in support of his application. The Registrar may require the applicant to furnish any other certificate/ document in original for verification.

7. Provisional Registration.—(1) No candidate after passing the qualifying examination shall be allowed to undergo training unless he has applied in Form "G" through the principal of the recognised institution in which the applicant has been asked to undergo training and paid the fees for Provisional registration.

(2) The provisional registration granted under section 24 of the Adhiniyam shall remain in force for a period not exceeding 6 months from the date on which the Council/University awarded diploma/degree to the successful candidate.

(3) The practitioner who has been granted the provisional registration in Form "H" after completion of training shall obtain his diploma/degree and submit its copy duly attested to the Registrar within 6 months fixed under sub-rule (2) for registration under Section 22 of the Adhiniyam.

(4) If any person fails to apply under sub-rule (3) within the time prescribed therein, he shall cease to be registered under clause (a) or (b) of Section 24 of the Adhiniyam and his name shall be removed from the State Register. On application for re-registration of his name, he shall be liable to pay late fee as specified in Appendix.

8. **Addition of qualification.**—Any persons who intimate to enter any additional qualification against his name may make an application alongwith the certificate and shall pay the fee as specified in the Appendix.

9. **Duplicate copy of Registration.**—An application for a duplicate copy of registration certificate shall be submitted to the Registrar accompanied by an affidavit showing cause for obtaining the duplicate copy and shall pay the fee as specified in the Appendix.

10. **Change of name or surname.**—Any practitioner willing to change his/her name or surname or address shall make an application alongwith proof for such change to the Registrar, and shall pay the fee as specified in the Appendix. The Registrar shall change the entry and inform the applicant in writing.

11. **Certificate of registration.**—The certificate of registration under sub-section (3) of Section 22 shall be in Form "D" and the provisional certificate of registration under Section 24 shall be in Form "H".

12. **Verification from outside State.**—Any person who holds recognised qualification from the State other than Madhya Pradesh, if applied for registration to the Council, shall be liable to pay the prescribed fee for verification. If the Council is asked for verification from other Council/ Board for granting registration, the Registrar shall verify such cases after receipt of the fee as specified in the Appendix.

13. **Manner of payment of fee.**—The fee required to be paid under these rules may be paid in cash/ money order or through Bank Draft payable to the Registrar.

Chapter III—Appeals

14. **Memorandum of Appeal.**—(1) Every appeal under Section 48 of the Adhiniyam shall,

- (a) be filed within forty five days from the date of communication of the order against which the appeal is to be filed;
- (b) be accompanied by a satisfactory proof of payment of a fee specified in the Appendix;
- (c) apply in writing;
- (d) specify the name and address of the appellant;
- (e) specify the date of the order against which the appeal is to be filed;
- (f) specify the date on which the order was communicated to the appellant;
- (g) enclosed a statement of facts;
- (h) state precisely the relief prayed for and;
- (i) be signed and verified by the appellant or an agent duly authorised by him in writing in this behalf in the following form, namely:—

"I the appellant named in the above memorandum of appeal do hereby declare that what is stated therein is true to the best of my knowledge and belief".

.....
Signature

(2) The memorandum of appeal shall be accompanied by an authenticated copy of the order against which the appeal is preferred, unless the appellant satisfies the appellate authority at the time of presentation of the appeal that there is sufficient cause for omission in such case it shall be filed within such time as may be fixed by the said authority.

(3) The memorandum of appeal shall be in duplicate and shall be presented to the appellate authority either by the appellant or his agent or sent to said authority by registered post. When an appeal is presented by an agent duly authorised by the appellant it shall be accompanied by a duly stamped letter of authority appointing him as such.

15. Summary rejection of appeal.—(1) If the memorandum of appeal does not comply with all or any of the requirements of rule 14. The appeal may be summarily rejected:

Provided that no appeal shall be summarily rejected under this sub-rule unless the appellant is given such opportunity as the appellate authority thinks fit to amend such memorandum of appeal so as to bring it into conformity with the requirements of rule

(2) An appeal may also be summarily rejected on any other grounds which shall be reduced to writing by the appellate authority.

Provided that before an order summarily rejecting an appeal under this sub-rule is passed, the appellant shall be given a reasonable opportunity of being heard.

16. Hearing of appeal.—(1) If the appellate authority does not reject the appeal summarily, it shall fix a date for hearing the appellant or his duly authorised agent.

(?) The said authority may at any stage adjourn the hearing of an appeal to any other date

(3) If on the date fixed for hearing or any other date to which the hearing is adjourned, the appellant does not appear before the said authority either in person or through an agent duly authorised by the appellant, the said authority may dismiss the appeal or may decide it ex parte as it thinks fit.

(4) When an appeal is dismissed or decided ex parte under sub-rule (3), the appellant may within 60 days from the date of communication of such order apply to the appellate authority for re-admission or re-hearing of the appeal and if the appellate authority is satisfied that the appellant or an agent duly authorised was prevented by sufficient cause from appearing when the appeal was called for hearing he may, re-admit or re-hear the appeal upon such terms including terms as to cost and conditions as it may think fit.

17. Supply of copy of order passed in appeal.—A copy of the order passed in appeal shall be supplied free of cost to the appellant and another copy shall be sent to the officer whose order forms the subject matter of the appeal.

18. The Council, if required, may make correction in the forms appended to these rules.

19. Repeal and saving.—All rules corresponding to these rules in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed:

Provided that any application for registration either u/s 22 or 24 is complete and fee deposited but pending for grant of registration under the rules so repealed shall be deemed to have made under the corresponding provisions of those rules.

FORMAT "A"

Page Rule 3(1)

State Register of Homoeopathy

S. No.	Name with Father's/ husband's name	Date of birth	Residence and place of practice	Qualifi- cation academic and medical	Year of passing	Name of Uni-versi- ty/ Board acquired from	Registra- tion Number and date	Renewal date	Reason for removal of name date and Rule under which remove	Re-entry date	Signature of Registrar	Additional qualifi- cation and date	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

FORM " B "

[See Rule 3 (2)]

S. No.	Name with Father's/ Husband's name	Date of birth	Residential address	Qualification academic and medical	Registration No. & date	Re-entry u/s 22(2) and date	Registration under repealed Rules	Registration No. & date	Renewal Date	Reason for removal of name, date and Rule under which removed	Re-entry date	Signature of Registrar	Additional qualification end date	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

FORM " C "

[See Rule 3 (3)]

S. No.	Name with Father's/ Husband's name	Date of birth	Residential address	Qualification academic & Medical	Year of passing	Name of Institution	Name of Board or University passing the Medical qualification	Provisional Registration No.	Date on which internship completed	Registration u/s 22	Date on which diploma/degree issued	Signature of Registrar	Remarks	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	

APPENDIX

[See Rule 4 (3)]
Fees payable to the Council for registration and other matters

S.No.	Particulars	Rate of fee	Rule No.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Renewal fee	Rs. 300/-	4 (b)
2.	Renewal late fee	Rs. 50/- per month subject to maximum of Rs. 300/-	4 (e)
3.	Registration fee u/s 22	Rs. 1,500/-	6
4.	Registration fee u/s 24	Rs. 1,000/-	7 (1)
5.	Late fee for Registration u/s 22 from section 24.	Rs. 100/- per month subject to maximum of Rs. 500/-	7 (4)
6.	Fee for additional entry of qualification	Rs. 300/-	8
7.	Fee for duplicate copy of registration	Rs. 500/-	9
8.	Fee for change of surname or address	Rs. 200/-	10
9.	Verification fee	Rs. 500/-	12
10.	Appeal fee	Rs. 100/-	14 (b)

Note.—the prescribed fees are excluding the postal charges which shall be payable separately if asked by the Parishad.

FORM "D"

[See Rule 3(4)]

State Homoeopathy Council Madhya Pradesh

(SEAL)

Pass Port
Photo

CERTIFICATE OF REGISTRATION

REGISTRATION NO. DATE

CERTIFICATE is granted that Shri/Ku./ Shrimati
 Son/Daughter/Wife of Resident of
 District
 of Madhya Pradesh has been duly registered as a registered Homoeopathic Practitioner under Section 22 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976.

CERTIFIED that the name of the Practitioner has been continued in the State Register of Homoeopathy and the Certificate has been renewed on /re-entered.

In witness where of are herewith affixed the signature of the Registrar and Seal of the Council.

(Seal)

Registrar
Seal

Bhopal :

Dated.

RENEWAL Date.

Registrar
Seal

(The Practitioner registered with the Council is expected to inform immediately any change in his residential/professional address, appointment in Government Service, acquire additional qualification. The name from the State Register of Homoeopathy shall be removed without notice if failed to apply for renewal and continuation of name in the State Register of Homoeopathy)

FORM "E"

[See Rule 4 (1)]

APPLICATION FOR RENEWAL

To,

The Registrar,
 M.P. State Council of Homoeopathy,
 73, Zone-II, M.P. Nagar,
 Bhopal- 462011.

Pass Port Size
Photo

Sir,

My name is entered in the State Register of Homoeopathy under the provisions of M.P. Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 at No. and Registration Certificate bearing No. has been issued to me. For continuing my name in the said Register the certificate in original alongwith the fee Rs. 30/- in cash/Bank Draft No. (Name of Bank and three pass part size photos are enclosed.

2. I have failed to apply for renewal and continuation of my name in the State Register of Homoeopathy, the renewal fee of Rs. 300/- and additional late fee of Rs. 50/- per month subject to be maximum of Rs. 300/- Total Rs. in cash/through Bank Draft No.(Name of Bank) are enclosed.

3. (1) Name of Applicant	(In Hindi)
	(In English)
(2) Name of Father/Husband
(3) Place of practice
(4) Date of Birth (In English Calander) Date Month Year
(5) Qualification- (a) General Medical (b) Additional qualification if added.
(6) Qualification acquired on date Year
(7) University/Board from-General where qualification acquired
(8) Registration No. and date
(9) Punished by Court in or professional Mis-conduct	any criminal Case No. Nature of
(10) Renewal fee	Punishment Name of court
	In cash
	Bank draft No.
	Name of Bank
	Late fee for month
	Rs. (Total)

Certified that the information furnished above is true to the best of my knowledge and records. The attested copies of testimonials are enclosed.

(Name of applicant
and Signature)

FOR OFFICE USE

Certified that—

- (1) The Renewal fee Rs. late fee Rs.
 R. No. Date.
 has been received.
- (2) The certificate in original has been received with the application.
- (3) The entry of Renewal has been made on. (Page No.) in the Register.

(Signature of Incharge)

(Signature of Registrar)

The certificate of Registration has been sent vide D. No. Date.
 by Registered post R. No. Date.

(Signature of Despatcher)


FORM "F"

(See Rule 6)

**Form of Application for Registration under sub-section (1) of Section 22 of the Madhya Pradesh
 Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976.**

To,

The Registrar,
 State Council of Homoeopathy,
 Madhya Pradesh,
 73, Zone-II, M.P. Nagar.
 BHOPAL-462011.



Sir,

I request that my name may be entered in the State Register of Homoeopathy maintained under the Madhya Pradesh, Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 and that I may be furnished with a Certificate of Registration necessary particulars are given under—

1. Full name (in Hindi)
 (Maiden name (in English)
 also in case of married woman).
2. Father's/Husband's name (in Hindi)
 (in English)

3. Residential address
(House No., Mohalla, Post Office, Village, District, Pin Code No.)
4. Professional appointment in Government and post held.
5. Professional address and places with period.
6. Date of birth
(In English Calander)
7. (A) (1) Medical Qualification (Under the Act).
 - (2) Date on which acquired
 - (3) University/Board which granted
 - (4) Period of Education and place
- (B) General other than Medical—
 - (1) Qualification
 - (2) Date on which acquired
 - (3) University/Board/Institution
 - (4) Place of Education and period
8. The Provisional Registration No. U/s. 24
9. Documents enclosed—
 - (1) For date of birth
 - (2) Diploma/Degree
 - (3) Certificate of Internship
 - (4) Fee receipt
 - (5) Original Provisional Registration Certificate.
 - (6) Professional Affidaavit

NOTE —Please attach the copies of certificates/documents of qualification/matriculation/H. S. S. Certificate, duly attested by a Magistrate or a Gazetted officer but provisional registration certificate in original must be attested.

The requisite fee of Rs. 1,500/- for registration through crossed Bank Draft/M.O. in cash is paid. Please see Receipt No. Date

I solemnly declare that all the entries above are true to the best of my knowledge and belief. Enclosed two Pass Port Size photo with application form.

Place
Date

Yours faithfully,

(Name and signature of applicant)

FORM "G"

[See Rule 7 (1)]

MADHYA PRADESH HOMOEOPATHY PARISHAD

(Application for provisional Registration under Section 24 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976).

To,

The Registrar,
 State Council of Homoeopathy,
 73, Zone-II, M.P. Nagar,
 BHOPAL.

Sir,

Please enter my name in the register in Form "G" maintained under the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 and grant me the provisional registration certificate.

1. Full name (in Hindi)
 (Married woman must mention the premarital name) (In English)
2. Father's/Husband's name
3. Residential address
4. Age and date of birth
5. Educational qualification--
 (a) Medical qualification recognised under the Act.
 (b) Academic qualification
6. Year of passing the examination under (a) and (b).
7. Institution/Board/Council/University where from passed.
8. Year of Admission in 1st year of Homoeopathic course and enrolment No.

Note.—(1) The copies of the Final Examination Mark Sheet of Homoeopathic Course Examination, the certificate of Board/University showing the date of birth duly attested by a Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.

(2) The required fee including the postage charges has been remitted through Bank Draft No. drawn on for Rs. or paid in cash vide R. No. date

Yours faithfully,

Date

Place

(Name and signature of the applicant)

FOR USE OF THE OFFICE OF THE M.P. HOMOEOPATHY PARISHAD

Fee received on

Amount

Whether application is complete/incomplete and full fee received.

Order of the Registrar

Signature Incharge Clerk.

(Signature of Registrar)

FORM "H"

[See Rule 7 (3)]

STATE COANCIL OF HOMOEOPATHY MADHYA PRADESH

Provisional Certificate of Registration

Certified that Shri/Ku./Smt. Son/daughter/wife of Resident of District has been granted provisional registration under Section 24 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Council Adhiniyam, 1976 or passing the examination. His/her registration number is Prov. No. dated as per Provisional Registration Register. This certificate shall be valid till the completion of his/her training period and/or the qualification is conferred upon him at a convocation held by the State Council of Homoeopathy or University.

Seal

Bhopal :

Registrar

Dated :

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
R. K. SWAI, Addl. Secy